भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2397

उत्तर देने की तारीख : 06.08.2024

निधियों का आवंटन

2397. एडवोकेट चन्द्र शेखर:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा अनुसूचित जाति समुदायों के लिए आवंटित धनराशि का मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति और कौशल विकास कार्यक्रमों जैसी योजनाओं में प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) मंत्रालय द्वारा चालू वित्त वर्ष में जनजातीय उप-योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता के कार्यान्वयन और परिणामों का विस्तृत ब्यौरा उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री रामदास आठवले)

(क): 'अनुसूचित जातियों और अन्य के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति स्कीम' और 'अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति स्कीम' के अंतर्गत, अनुसूचित जाति समुदायों के लिए आवंटित निधियों का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाना सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

i. ये स्कीमें राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से मजबूत साइबर सुरक्षा उपायों के साथ चलाई जाती हैं, जिससे छात्रवृत्ति की पारदर्शिता, जवाबदेही, दक्षता और समय पर वितरण सुनिश्चित होती है।

ii. केन्द्रीय हिस्सा तभी जारी किया जाता है जब राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपना हिस्सा अंतिम रूप से सत्यापित छात्र लाभार्थियों को जारी कर देते हैं; तथा

iii. केन्द्रीय हिस्सा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से पात्र छात्रों/आवेदकों के आधार से जुड़े बैंक खाते में सीधे जारी किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने प्रधानमंत्री-दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही (पीएम-दक्ष) योजना नामक केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम शुरू की, जिसका उद्देश्य 18 से 45 वर्ष की आयु वाले अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, डीएनटी, कचरा बीनने वालों सहित सफाई कर्मचारियों जैसे लाभवंचित लोगों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है।यह स्कीम अखिल भारतीय आधार पर कार्यान्वित की जा रही है।पीएम-दक्ष योजना का मुख्य उद्देश्य लक्षित समूहों के कौशल को बढ़ाना और उन्हें कामकाजी-रोजगार या स्व-रोजगार के योग्य बनाना है।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने लक्षित युवाओं के कौशल विकास के लिए पीएम-दक्ष स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2023-24 में 58.26 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।

(ख): जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा वर्ष 1977-78से जनजातीय उप-स्कीम के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता (टीएसपी के लिए एससीए) स्कीम का कार्यान्वयन किया जा रहा था।योजना और गैर-योजना के एकीकरण के बाद, इस स्कीम को वर्ष 2017 से 'जनजातीय उप-स्कीम के लिए विशेष केंद्रीय सहायता (टीएसएस के लिए एससीए)' के रूप में जाना गया।टीएसएस के लिए एससीए के अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, कौशल विकास, रोजगार-सह-आय सृजन, आदि जैसे क्षेत्रों में विभिन्न परियोजनाओं के लिए राज्य सरकारों को निधियां प्रदान की गई थीं।जनजातीय बाहुल्य वाले गांवों में बुनियादी सेवाओं और सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए वर्ष 2021-22 से 2025-26 के दौरान परिणाम-उन्मुख और समयबद्ध तरीके से गांवों के एकीकृत विकास हेतु टीएसएस के लिए एससीए को बदलकर 'प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (पीएमएएजीवाई)' में लाने का निर्णय लिया गया है।

पीएमएएजीवाई स्कीम के अंतर्गत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कम से कम 50% जनजातीय आबादी और 500 अनुसूचित जनजाति वाले 36,428 गांवों की पहचान विकास के 8 क्षेत्रों अर्थात सड़क संपर्क (आंतरिक और अंतर गांव/ब्लॉक), दूरसंचार संपर्क (मोबाइल/इंटरनेट), स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य उप-केंद्र, पेयजल सुविधा, जल निकासी और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में अंतराल को पाटने के लिए अभिसरण दृष्टिकोण के माध्यम से विकास कार्यक्रमों/गतिविधियों को शुरू करने के लिए की गई है। इस स्कीम के अंतर्गत प्रशासनिक व्यय सहित अनुमोदित गतिविधियों के लिए 'अंतराल भरने' के रूप में प्रति गांव 20.38 लाख रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है।

इस स्कीम के लिए 7276 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जिसका उपयोग 36,428 गांवों के विकास के लिए 20.38 लाख रुपये प्रति गांव की दर से किया जाना था। 15,989 ग्राम विकास योजनाओं (वीडीपी) को मंजूरी दे दी गई है और राज्यों को 2283 करोड़ रुपये की राशि जारी कर दी गई है।

******